

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

क्रमा नं 132 / 2022

तारीख रजू :- 3-6-2022

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

न आई0डी0 नम्बर 2022/272

उनवान

सिंह पुत्र धुपसिंह जाति जाट निवासी महु दलालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली

स्थान

—वादीगण—09

बनाम

गबू पुत्र परभाती जाति जाट निवासी महुदलालपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला

ली राजस्थान

—प्रतिवादीगण—03

क्र	फर्द अहकाम	
22	<p>यह दावा वादीगण की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 07.07.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(अनुप सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>	
72	<p>पत्रावली पेश हुई। बकुलाप उपाधिकर / पत्रावली गणना 01 की ओर से श्री पी.एल. जोषण एड. एवं पत्रावली गणना 02 की ओर से श्री शरीफाक चौधरी एड. के बकायत पत्रावली पेश किये। पत्रावली वातरे पत्रावली नकल एनराय दिनांक 1.8.22 को पेश की।</p>	
16	<p>पत्रावली पेश हुई। बकुलाप उपाधिकर। पत्रावली वातरे पत्रावली नकल एनराय दिनांक 28.10.22 को पेश की।</p>	
29	<p>पत्रावली आषा मिशाल तलवी के द्वारा पत्रावली पेश हुई। बाकी बाकी उपाधिकर। बाकी बाकी उपाधिकर करवाये। बाकी उपाधिकर उपाधिकर करवाये। बाकी उपाधिकर उपाधिकर करवाये। बाकी उपाधिकर उपाधिकर करवाये। बाकी उपाधिकर उपाधिकर करवाये।</p> <p>हुं नं 132/22 अज्ञात बकुल सिंह बनारस राजस्थान नोटिस के अभाव में उपाधिकर करवाये। पत्रावली नकल उपाधिकर उपाधिकर करवाये।</p>	<p>not present A</p>

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)